न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—काना राम, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—06/2024

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़

——स्टेट

बनाम

लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी वार्ड नं. 16 गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

——गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. गैरसायल स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांकः—09.04.2024

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन, द्वारा मार्फत पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी वार्ड नं. 16 गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली करने का आदि है, जो सट्टा की खाईवाली करने में सक्रिय है। गैरसायल सट्टे की खाईवाली कर आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। वार्ड नं. 16 गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन के लोग इससे काफी भयभीत रहते है व इससे सट्टा की खाईवाली व अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा पर उतारू हो जाता है तथा इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की कस्बा में आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न 11 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें नौ अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं. मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1.	526/16-08-2023	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 09.10.2023
2.	490/05-08-2023	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 06.10.2023
3.	185/16-03-2023	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 04.05.2023
4.	71/09-03-2023 P.S. Sadar	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	पैण्डिग कोर्ट
5.	137/17-02-2023	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 18.10.2023
6.	121/11-02-2023	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 06.07.2023
7.	827/16-12-2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	पैण्डिग कोर्ट
8.	713/12-10-2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 24.04.2023
9.	473/04-07-2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 16.08.2022
10	421/08-06-2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 17.10.2022
11.	404/06-06-2022	धारा 13 आरपीजीओ	चालान	सजा 29.06.2022

गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। इसकी ऐसी गतिविधियों से आम जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी वार्ड नं. 16 गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल दिनांक 09.04.2024 को स्वयं उपस्थित हुआ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। [illegible] अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:46:21 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

गैरसायल आज दिनांक 09.04.2024 को स्वयं उपस्थित होकर इस्तगासा में वर्णित जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अब दिहाड़ी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है तथा सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रार्थी उक्त प्ररकण मं अपना जुर्म स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी भविष्य में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। मैं उक्त इस्तगासा में वर्णित जुर्म के सम्बन्ध में कोई जवाब व साक्ष्य आदि पेश नहीं करना चाहता। प्रार्थी की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण फरमाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। गैरसायल को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के नौ मुकदमों में दोष सिद्ध होने के तथ्य को स्वीकार करने पर सजायाब किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिभाषा में कवर होता है किन्तु जिला या क्षेत्र से बाहर किये जाने हेतु राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(क) की शर्त के साथ 3(ख) में वर्णित शर्तो का भी होना जरूरी है अर्थात व्यक्ति के गुण्डा होने के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि वह विनिर्दिष्ट अपराध/कृत्य को करने में निरन्तर रत रहे तथा उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों से किसी व्यक्ति या सम्पति को खतरा या नुकसान होने की सम्भावना हो।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है की गैरसायल के विरूद्ध 11 मुकदमें दर्ज हुए है। नौ मुकदमो में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। थानाधिकारी हनुमानगढ़ जंक्शन, द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के साथ संलग्न रोजनामचा के अनुसार दिनांक 12.03.2024 को यह रपट दर्ज की गई है कि गैरसायल लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत जो अवैध रूप से सट्टा का कारोबार करता है काफी मुकदमें दर्ज है सजा हुई है जो लोगों को धमकाता रहता है तथा समाज में बुरा असर पड़ रहा है। कोई इसकी शिकायत नहीं करता है। सभी डरते है तथा खुल कर इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता है। इसके खिलाफ कार्यवाही करना जरूरी है जिस पर वार्ड वासियों को कार्यवाही बाबत कहा तो सभी ने बयान देने से मना कर दिया। सभी डरते है, का ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है।

गैरसायल को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु गैरसायल द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर सायल पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जा सके। प्रकरण को देखते हुए गैरसायल इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को भविष्य में नहीं करेगा, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। मामले की परिस्थितियों के आधार पर गैरसायल के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार है, गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

अतः गैरसायल लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी वार्ड नं. 16 गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 8 दिवस की अवधि तक श्री गंगानगर लोक सभा क्षेत्र में आने वाले हनुमानगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाने हेतु आदेश दिये जाते है। गैरसायल दिनांक 10.04.2024 को थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन को सूचित करते हुए श्री गंगानगर लोक सभा क्षेत्र में आने वाले हनुमानगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र की सीमा से बाहर चला जावे तथा गैरसायल निष्कासन अवधि में जिस स्थान पर निवास करेगा उस स्थान के थानाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सूचित करेगा। निष्कासन अवधि समाप्ति पर सम्बन्धित थानाधिकारी को अवगत करवाकर पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन की सीमा में प्रवेश करेगा तथा वापसी पर थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन को सूचित करेगा। सम्बन्धित थानाधिकारी गैरसायल की दैनिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी रखेगा। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 09.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:46:21 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official